न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन-निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/3130 - विरूद्ध आदेश दिनांक 21-8-2017 - पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर - प्रकरण क्रमांक 123/2006-07 निगरानी

केशव पुत्र शंभूदयाल
ग्राम बड़गॉव तहसील बीरपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश व्दारा कलेक्टर श्योपुर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री नरेन्द्र सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 123/2006-07 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-8-17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार टप्पा बीरपुर ने प्रकरण क्रमांक 168/1995-96 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 22-6-1996 से 13 ग्रामीणों को ग्राम बड़ागॉव में भूमि का आवन्टन किया, जिनमें आवेदक को भूमि सर्वे क्रमांक 851 रकबा 1-045 हैक्टर का पट्टा स्वीकृत किया गया। अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 123/06-07

स्व.निगरानी की प्रथम आर्डरशीट दिनांक 23-3-2001 के विवरण अनुसार भूमि बन्टन के सम्बन्ध में विधान सभा प्रश्न कमांक 7004 अतारांकित उठाये जाने पर निम्न ग्रामों के पट्टाग्रहीताओं के विरूद्व अपर कलेक्टर श्योपुर ने एक प्रकरण स्वमेव निगरानी का संयुक्त रूप से पॅजीबद्व किया ।

1- बड़ागॉव 2- निवाड़ी 3- साईपुरा 4- नहर्रा 5- लीलधा 6- लहर्रा
7- केमारा 8- बीरपुर

कुल आठ ग्रामों में हुये भूमि बन्टन के विरूद्व एक स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करके पट्टाग्रहीताओं को नोटिस जारी किये तथा आदेश दिनांक 21-8-17 पारित करके निम्न प्रकरणों में भूमि बन्टन हेतु पारित विभिन्न आदेशों को निरस्त करते हुये भूमि शासकीय घोषित की गई :-

1/ प्रकरण कमांक 168/1995-96 अ- 19 आदेश दि. 22-6-96
2/ प्रकरण कमांक निल/1994-95 अ-19 आदेश दिनांक 22-1-96
3/ प्रकरण कमांक 11/1995-96 अ-74 आदेश दिनांक 11-8-1996
4/ प्रकरण कमांक 8/1995-96 अ-74 आदेश दिनांक 12-6-1996
5/ प्रकरण क. 39/1995-96 बी-121 आदेश दिनांक 31-5-1996

प्रकरण कमांक 168/1995-96 अ- 19 में पारित आदेश दिनांक 22-6-96 से आवेदक को भूमि सर्वे कमांक 851 रकबा 1-045 हैक्टर का पटटा प्रदान किया गया है जिसे अपर कलेक्टर श्योपुर ने आदेश दिनांक 21-8-17 से निरस्त किया है इसी आदेश के विरूद्व आवेदक ने स्वयं् के हित रक्षण हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। शासन के पैनल लायर व्दारा तर्क न करने पर उनसे अपेक्षा की गई कि वह चाहे तो सात दिवस में लिखित बहस प्रस्तुत कर सकते है, किन्तु अवधि व्यतीत होने के वाद भी लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक के हित में प्रकरण कमांक 168/1995-96 अ- 19 में पारित आदेश दि. 22-6-96 से दिये गये पटटे के विरूद्व किसी भी ग्रामीण ने कोई शिकायत नहीं की है एंव न ही शिकायती तथ्यों की जांच हुई एंव आवेदक को दिये गये पटटे को स्वमेव निगरानी में भी नहीं लिया गया। अपर कलेक्टर ने आवेदक को किसी प्रकार का सूचना पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया है। पटटा जून 1996 में दिया गया है एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश

दिनांक 21–8–17 से 21 वर्ष वाद पटटा निरस्त किया गया है इसलिये आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर आदेश निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 123/ 2006–07 स्व. निगरानी का अवलोकन किया गया, जो पृष्ठ कमांक 01 से 460 तक है। इस प्रकरण में ऐसा कोई भी अभिलेख संलग्न (उपलब्ध) नहीं है जिससे यह पुष्टिकरण होता कि अपर कलेक्टर ने आवेदक को सुनवाई के लिये सूचना पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने आवेदक को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी नहीं किया है एंव उसके विरूद्व एकपक्षीय संयुक्त आदेश दिनांक 21–8–17 पारित करके आवेदक के हित में नायव तहसीलदार टप्पा बीरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 168/1995–96 अ– 19 में पारित आदेश दि. 22–6–96 से आवंटित भूमि सर्वे कमांक 851 रकबा 1–045 हैक्टर का पटटा निरस्त किया है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 21–8–17 एकपक्षीय होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के उल्लॅघन में पारित है जो आवेदक के हित तक निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुकम में अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 123/ 2006–07 स्व. निगरानी के अवलोकन पर उनके प्रवाचक व्दारा लिखी गई अंतिम आर्डरशीट दिनांक 16–8–17 इस प्रकार है :–

16–8–17. प्रकरण पेश। गैरनिगरानीकर्तागण अनु.। तहसीलदार वीरपुर से पृष्ठांकन पत्र प्राप्त जिसके व्दारा चाहे जा रहे अभिलेख के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रवाचक को पत्र लिखा गया। पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से वाहर होने से प्रकरण पूर्ववत्। C.F. 21-8-17

उक्त का तात्पर्य यह है कि तहसील न्यायालय के उक्त वर्णित अनुसार प्रकरण तत्कालीन प्रवाचक से उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है परन्तु मूल प्रकरण आये बिना ही 21–8–17 को अपर कलेक्टर श्योपुर ने अंतिम आदेश पारित कर दिया तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके हित में किये गये बन्टन को निरस्त करने की त्रृटि करना परिलक्षित है।

6/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार टप्पा बीरपुर ने आदेश दिनांक 22–6–1996 से आवेदक के हित में भूमि का आवन्टन किया है एंव अपर कलेक्टर श्योपुर ने इस बन्टन को

आदेश दिनांक 21–8–17 से 21 वर्ष वाद निरस्त किया गया है ।

1. सीताराम विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 1999 रा0नि0 82 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां युक्तियुक्त समय में ही प्रयुक्त की जा सकती हैं। भूमि का पट्टा दिया गया। उस पर भवन का निर्माण किया गया। दस वर्ष पश्चात् पट्टा रद्द किया जाना तर्कसंगत नहीं है। किसी मामले में एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त हो सकता है।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके 1975 रा0नि0 67 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि पांच वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन किया गया। आवंटिती को भूमिस्वामी स्वत्व एंव अधिकार अर्जित हो गये। परिसीमा की अवधि के उपरांत पुनरीक्षण शक्तियां प्रयुक्त कर आवंटन का आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता।
3. मेदिनी प्रसाद विरूद्व म.प्र.राज्य 1996 रा0नि0 75 पर माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है कि उपधारा (1) के परन्तुक का खंड (3) स्वप्रेरणा के तथा पक्षकार के आवेदन पर दोनों प्रकार के पुनरीक्षणा से संबंधित है। पुनरीक्षण करने के लिये सक्षम न्यायालय आक्षेपित आदेश को उलट या फेरफारित नहीं कर सकता, जब तक कि उससे प्रभावित होने वाले पक्षकार पर सूचना की तामील नहीं हो जाती और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता।

विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर ने आवेदक को सुनवाई हेतु सूचना पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया है इसके वाद भी आदेश दिनांक 21–8–17 से 21 वर्ष वाद आवेदक का पट्टा निरस्त किया गया है जिसके कारण अपर कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 21–8–17 आवेदक के हित में हुये भूमि बन्टन तक स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार अपर कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 123/ 2006–07 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–8–17 आवेदक के हित तक त्रृटिपूर्ण पाये जाने से ॲशतः निरस्त किया जाकर आवेदक के हित में ग्राम बइगॉव की भूमि सर्वे कमांक 851 रकबा 1–045 हैक्टर का दिया पट्टा यथावत् रखा जाता है। अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 123/ 2006–07 स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–8–17 नायव तहसीलदार टप्पा बीरपुर के प्रकरण कमांक 168/1995–96 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 22–6–1996 के अन्य पट्टाग्रहीताओं पर प्रभावकारी माना जावेगा।

(एस0एम0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर